

	<p>कार्यालय: प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क, मुन्द्रा, सीमाशुल्क भवन, मुन्द्रा बंदरगाह, कच्छ, गुजरात- 370421 OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS: CUSTOM HOUSE, MUNDRA PORT, KUTCH, GUJARAT- 370421. PHONE : 02838-271426/271163 FAX :02838-271425 E-mail id- commr-cusmundra@nic.in</p>	
---	--	---

Date: 21-02-2025

DIN: 20250271MO000000A427

सार्वजनिक सूचना क्रमांक 24/2024-25**PUBLIC NOTICE No. 24 /2024-25**

विषय: बल्क कार्गो के लिए प्रवेश बिल के अंतिम मूल्यांकन के दौरान संशोधन की अनुमति देने का विकल्प-संबंधित।

Subject: Option to allow amendment during final assessment of bill of entry for bulk cargo– reg.

सभी आयातकों/निर्यातकों, सीमा शुल्क दलालों, व्यापार सदस्यों और अन्य हितधारकों का ध्यान सिस्टम और डेटा प्रबंधन महानिदेशालय द्वारा जारी आईसीईएस परामर्शी संख्या 09/2025 दिनांक 31.01.2025 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो आयातकों द्वारा प्रविष्टि के बिलों के अंतिम मूल्यांकन के अनुरोध के लिए सिस्टम में बदलाव के संबंध में है।

Attention of all Importers/Exporters, Customs Brokers (CBs), Trade Members and Other Stakeholders is invited to the ICES Advisory No. 09/2025 dated 31.01.2025 issued by Directorate General of Systems and Data Management, regarding changes in the system to request for Provisional assessment of bills of entry by Importers.

2 . बल्क और लिक्विड बल्क कार्गो के अंतिम मूल्यांकन के संबंध में संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि अंतिम चालान और अंतिम विश्लेषण प्रमाणपत्र के अनुसार ईडीआई प्रणाली में चालान मूल्य और मात्रा में बदलाव का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में, बल्क और लिक्विड बल्क कार्गो के लिए प्रवेश बिल को अंतिम रूप देने के दौरान संशोधन की अनुमति देने के लिए सिस्टम में आवश्यक बदलाव किए गए हैं।

References have been received with regard to final assessment of bulk & liquid bulk cargo that there is no provision to change invoice value and quantity in the EDI system as per final invoice & final analysis certificate. In this regard, necessary changes have been made in the System to allow amendment during finalization of bill of entry for bulk and liquid bulk cargo.

3 . प्रविष्टि बिल को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के दौरान सिस्टम इकाई मूल्य में संशोधन करने हेतु पहले से ही सक्षम है। अब, अद्यतन माड्यूल में, अधिकारी थोक और तरल थोक कार्गो के लिए प्रवेश के बिल के अंतिम मूल्यांकन के दौरान मात्रा, चालान संख्या, माल ढुलाई और विविध शुल्क में संशोधन करने में सक्षम होंगे। संशोधित इकाई मूल्य और संशोधित मात्रा के आधार पर, सिस्टम नए मूल्यांकन योग्य/चालान मूल्य की गणना करेगा।

Amendment of unit price is already enabled in the system during the process of finalization of bill of entry. Now, in the updated module, the officer will be able to amend **the quantity, invoice number, freight and miscellaneous charges** during the final

assessment of bill of entry for **bulk & liquid bulk cargo** only. Based on the amended unit price and amended quantity, the system will calculate new assessable/ invoice value.

4 . किसी भी कठिनाई या समस्या का सामना करने वाले अधिकारी saksham.seva@icegate.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। किसी भी कठिनाई या समस्या का सामना करने वाले व्यापारी icegatehelpdesk@icegate.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं।

Officers facing any difficulties or issues may email to saksham.seva@icegate.gov.in. Traders facing any difficulties or issues may email to icegatehelpdesk@icegate.gov.in.

5 . इस सार्वजनिक सूचना के कार्यान्वयन में कठिनाई, यदि कोई हो, को अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया जा सकता है।

Difficulty, if any, in implementation of this Public Notice, may be brought to the notice of the undersigned.

(K. ENGINEER)
Principal Commissioner of Customs
Custom House, Mundra

Encl:

1. ICES Advisory No. 09/2025 dated 31.01.2025.

Copy to:

1. The Chief Commissioner of Customs, Ahmedabad.
2. The Additional Commissioners of Customs, Custom House, Mundra
3. All the DCs/ACs of Custom House, Mundra
4. All Assessment/Docks Officers, Custom House, Mundra
5. DC/AC, EDI, Custom House, Mundra - for uploading on website.
6. Mundra Customs Broker Association - For circulation among members.
7. Notice Board.